छात्रसंघ चुनाव 2022–23

शुल्क : रु. 50 /–

सेठ आरएल सहरिया राजकीय पीजी महाविद्यालय, कालाडेरा, जयपुर

क्रमांक : मुचुअ / छात्रसंघ / सकाका / 2022 / 02 दिनांक : 17.08.2022

आचार संहिता

राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के पत्रांक प. 3 (54) शिक्षा–4 / 2002 / पार्ट जयपुर, दिनांक 29.07.2022 एवं आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के पृष्ठांकन क्रमांक एफ 7(4) / छात्रसंघ चुनाव / अकाद / आकाशि / 2022 / 653, दिनांक 08.08.2022 के द्वारा छात्र सघ चुनाव के सम्बन्ध में लिंगदोह समिति की सिफारिशें जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया एवं शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग द्वारा दिनांक 25.06.2010 को जारी किये गये आवश्यक निर्देश के अनुरूप दिनांक 26.08.2022 को छात्र संघ चुनाव कराये जाने हेतु दिशा–निर्देश (संविधान) के अनुसार आचार संहिता निम्नलिखितानुसार है :–

1. कोई भी मतदाता / उम्मीदवार ऐसी किसी प्रक्रिया / गतिविधि में लिप्त नहीं होगा, ना ही ऐसी किसी क्रिया / गतिविधि का उत्प्रेरण करेगा जो कि उपस्थित मतभेदों को बढावा देवें या आपसी वैमनस्य या विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों, धार्मिक अथवा भाषायी या विद्यार्थियों के किसी समुदाय या समुदायों के मध्य तनाव उत्पन्न करें।
2. दूसरे उम्मीदवारों की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, उनके पूर्व रिकार्ड व कार्यों तक ही सीमित होगी। उम्मीदवार निजी जीवन के सभी पक्षों की आलोचना से बचेंगे जो अन्य उम्मीदवारों की सामाजिक गतिविधियों या उनके समर्थकों से सम्बन्धित नहीं हो। असत्यापित आरोपों व विद्रूपताओं पर आधारित अन्य उम्मीदवारों या उनके समर्थकों की आलोचना भी नहीं करेंगे।
3. मत प्राप्ति हेतु जातीय अथवा साम्प्रदायिक भावनाओं के आधार पर अपील नहीं की जावेगी। पूजा स्थल चाहे परिसर के अन्दर अथवा बाहर हो, चुनाव प्रचार के लिए उपयोग नहीं किये जायेंगे।
4. सभी उम्मीदवारों को ऐसी गतिविधियों / कार्यों में लिप्त होने या उनके उत्पीडन करने से प्रतिबन्धित किया जायेगा जो कि भ्रष्ट आचरण एवं अपराध माने जाते हैं जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना–धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, नशा एवं मादक पदार्थों का सेवन, मतदान केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में प्रचार या यूज़ ऑफ प्रोपेगेण्डा, चुनाव के आखिरी घन्टे से 24 घन्टे पूर्व के समय में जन सभा आयोजित करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर लाना और वापस छोड़ना आदि।
5. किसी भी उम्मीदवार को छपे हुए पोस्टर्स या किसी अन्य छपी हुई सामग्री का प्रचार हेतु उपयोग की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवार प्रचार के वास्ते केवल हस्तनिर्मित पोस्टर्स का उपयोग अधिसूचित स्थान पर ही कर सकेंगे बशर्ते ऐसे हस्तनिर्मित पोस्टर्स निर्धारित व्यय सीमा के अन्तर्गत हों।

छात्रसंघ चुनाव 2022–23

6. उम्मीदवार केवल हस्तनिर्मित पोस्टर्स का उपयोग परिसर में ही महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अधिसूचित स्थान पर ही कर सकेंगे।

7. किसी भी उम्मीदवार को महाविद्यालय परिसर के बाहर रैलियां, जनसभा या प्रचार सामग्री वितरित करने, पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं होगी।

8. कोई भी उम्मीदवार या उसके समर्थक किसी भी उद्देश्य हेतु महाविद्यालय परिसर में किसी सम्पत्ति/भवन को चुनाव सम्बन्धी नारे या नाम पेन्ट कर गंदा, खण्डित या नष्ट नहीं करेंगे, परिसर में किसी सम्पत्ति के खण्डित अथवा नष्ट करने पर सभी उम्मीदवार संयुक्त रूप से एवं व्यक्तिगत रूप से भी दोषी होंगे।

9. चुनाव के दौरान महाविद्यालय परिसर में उम्मीदवार रैलियां निकाल सकते हैं और जन सभा कर सकते हैं यदि ऐसी रैलियां या जनसभा किसी भी प्रकार से महाविद्यालय में चलने वाली कक्षाओं तथा दूसरी शैक्षणिक और सहशैक्षणिक क्रियाओं में व्यवधान उत्पन्न न करें, साथ ही यह भी कि ऐसी रैली अथवा जनसभा को महाविद्यालय प्रशासन की पूर्व लिखित अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जा सकेगा।

10. प्रचार हेतु लाउडस्पीकर, वाहनों और जानवरों का उपयोग निषिद्ध है।

11. मतदान के दिन छात्र संगठन एवं उम्मीदवार :–

- उम्मीदवार चुनाव ड्यूटी पर उपस्थित अफसरों से सहयोग करेंगे ताकि शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित मतदान सुनिश्चित हो सके, जिससे मतदाता बिना किसी नाराजगी एवं व्यवधान के स्वतन्त्रता पूर्वक मतदान कर सकें।
- मतदान दिवस को पानी को छोड़कर किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री या दूसरी ठोस अथवा तरल भोज्य सामग्री वितरित नहीं करेंगे।
- मतदान दिवस को किसी भी प्रकार की प्रचार/प्रसार सामग्री नहीं बांटेंगे।
- मतदाताओं के अलावा अन्य कोई भी बिना किसी वैध पास या चुनाव प्रकोष्ठ के अधिकार पत्र या महाविद्यालय के अधिकार पत्र के मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेगा।

12. प्रत्येक प्रत्याशी को सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान अधिकतम 5000/– रू. व्यय करने की अनुमति होगी, जिसका वह आरम्भ से ही लेखा रखेगा। किसी भी प्रकार से उम्मीदवार द्वारा उक्त निर्धारित व्यय सीमा से अधिक खर्च किये जाने पर उस उम्मीदवार का चुनाव रद्द किया जा सकता है।

13. चुनाव परिणाम के घोषित होने के दो सप्ताह के अन्दर हर उम्मीदवार महाविद्यालय/प्रशासन को पूर्ण एवं अंकेक्षित लेखे सुपूर्द करेगा। महाविद्यालय ऐसे अंकेक्षित लेखों को एक उचित माध्यम के द्वारा प्राप्त होने के दो दिवस के अन्दर प्रकाशित करायेगा जिससे कि छात्र निकाय का कोई भी सदस्य उनका स्वतन्त्र परीक्षण कर सके।

14. छात्रसंघ चुनाव प्रक्रिया में राजनीतिक दलों से रूपयों की आवक को रोकने हेतु उम्मीदवारों पर छात्र निकाय द्वारा स्वैच्छिक योगदानों के अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से कोई धनराशि लेना विशेषरूप से प्रतिबन्धित है। कोई भी विद्यार्थी, पदाधिकारी या उनके समर्थकों या विद्यार्थी संगठनों द्वारा जनता, दुकानदारों, व्यापारियों आदि से धन एकत्रित नहीं किया जायेगा।

छात्रसंघ चुनाव 2022–23

15. परिसर मे किसी भी प्रकार के हथियार, आग्नेय अस्त्र, विस्फोटक पदार्थ, छडी, हॉकी या बेसबॉल स्टिक, चाकू, तलवार, लोहे की सलाखें, सरिये, चेन, लाठी या पत्थर रखना पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।

16. निर्वाचन के पश्चात् महाविद्यालय परिसर के बाहर किसी भी तरह का विजयी जुलूस नहीं निकाला जायेगा।

17. चुनाव प्रक्रिया के दौरान ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो कि महाविद्यालय का सूचीबद्ध नियमित छात्र नही है चुनाव प्रक्रिया में किसी भी क्षमता में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

18. महाविद्यालय में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ गठित किया गया है। यदि उम्मीदवारों को चुनाव के संचालन से सम्बन्धित कोई विशेष शिकायत अथवा समस्या हो तो वे उस समस्या को प्रकोष्ठ के ध्यान में लायेंगे।

19. मतदान समाप्ति के 48 घण्टे के भीतर मतदान क्षेत्र की सफाई सुनिश्चित करना सभी उम्मीदवारों की संयुक्त जिम्मेदारी होगी। ऐसा न करने पर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा सफाई कराने का व्यय प्रत्याशियों से वसूल किया जा सकता है।

20. छात्रसंघ पदों के प्रत्याशी चुनाव परिणाम पर हस्ताक्षर करेंगे तथा चुनाव परिणाम की घोषणा होने के तुरन्त बाद प्राचार्य से विजयी उम्मीदवार अपने पद की शपथ ग्रहण करेंगे। उक्त आचार संहिता की पालना न करने के दोषी पाये जाने वाला प्रत्याशी उम्मीदवारी खो सकेगा या उसे निर्वाचित पद से भी वंचित किया जा सकेगा, जैसा कि प्रसंगवश हो। ऐसे उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध महाविद्यालय प्रशासन द्वारा समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जावेगी। उक्त वर्णित आचार संहिता के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता 1860 के कुछ प्रावधान (Sec 153A and Chapter IXA : चुनावों से सम्बन्धित अपराध) भी छात्रसंघ चुनावों पर लागू किये जा सकेंगे।

(डॉ. राजेन्द्र कुमार शर्मा) 17.08.22
प्राचार्य

(डॉ. सीताराम कुमावत) 17.8.22
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
सेठ आरएल सहरिया राजकीय पीजी महाविद्यालय
कालाडेरा, जयपुर